

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड

“महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/द्वि०रा०न्यायिक/डी०आर०-52/2024-25/751

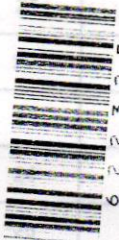
दिनांक: 18.07.2024

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गोवाहाटी	781029
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27.	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

Office of the Accountant General, A & P & Bangalore, Hyderabad

11-JUL-24



622325

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) उत्तराखण्ड “महालेखाकार भवन” कौलागढ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859, 2970865)
पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/द्वि०रा०न्यायिक/डी०आर०-52/2024-25/ 751
दिनांक: 18/07/2024

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

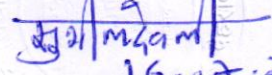
विषय- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सस्तुतियों के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष)
दिनांक: 01.01.2016 से राज्य के से०नि० न्यायिक अधिकारियों को भत्ते एवं सुविधायें अनुमान्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-224/XXXVI-JA-1/2024-50/2009 (E-73325)
दिनांक: 28.05.2024 द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सस्तुतियों के अनुसार (सातवे वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक: 01/01/2016 से राज्य के से०नि० न्यायिक अधिकारियों को भत्ते एवं सुविधायें अनुमान्य किये जाने के विषयक उत्तराखण्ड के शासन के शासनादेश सं०-88 दिनांक: 23/02/2024 अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,


16.07.2024

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

1/213942/2024

D/10175
3/6/24224
संख्या-XXXVI-A-1/2024-50/2009 (E-73325)

प्रेषक,

सुधीर कुमार सिंह,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,
कौलागढ, देहरादून।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 28 मई, 2024

विषय- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सस्तुतियों के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के से0नि0 न्यायिक अधिकारियों को भत्तें एवं सुविधायें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-पी0ए0पेंशन/ओ0डी0-15-2024-25/175, दिनांक 07.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सस्तुतियों के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के से0नि0 न्यायिक अधिकारियों को भत्तें एवं सुविधायें अनुमन्य किये जाने विषयक शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-88, दिनांक 23.02.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

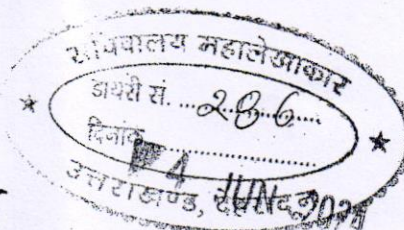
संलग्नक-यथोपरि।DR-52
DR-82
24/5/24

वरि. उप महालेखाकार (प्रशा. ब ले.) प्रकाश
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 868
दिनांक 04.06.24

उप माले (प्रशा)

भवदीय
Signed by Sudhir Kumar
Singh
Date: 28-05-2024 14:57:59

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव



Not Return to Press
Section

संख्या- 88 -/XXXVI-A-1/2024-261/2022 (E-68460)

प्रेषक,

नितिन शर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 23 फरवरी, 2024

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0-643/2015
ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक
04.01.2024 के अनुपालन में राज्य के न्यायिक अधिकारियों के भत्ते पुनरीक्षित किये
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका
सं0-643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित
आदेश दिनांक 04.01.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम
न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों
के भत्ते निम्नलिखित दरों के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत भत्ता-

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को भवन-निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु अग्रिम धनराशि की सुविधा
केन्द्र सरकार के कार्मिकों के समान इस परिवर्तन के साथ अनुमन्य होगी कि न्यायिक
अधिकारी द्वारा निजी व्यक्तियों से भी भवन क्रय किया जा सकेगा, किन्तु निजी व्यक्तियों
से किये जाने वाले सम्यवहार के ओवर इस्टीमेशन की जाँच/Check करने के लिए मा0
उच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति की सलाह के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियम
प्रख्यापित किये जायेंगे।

भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत भत्ता के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश न्याय
विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

2- चाईल्ड एजुकेशन एलाउन्स-

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 02 बच्चों की शिक्षा हेतु कक्षा-12 तक शैक्षणिक सत्र
2019-20 से चाईल्ड एजुकेशन एलाउन्स केन्द्र सरकार के कार्मिकों के समान प्रत्येक बच्चे
हेतु निम्नानुसार देय होगा-

(क) चाईल्ड एजुकेशन एलाउन्स-रु0 2,250/-प्रतिमाह

(ख) होस्टल सब्सिडी-रु0 6,750/- प्रतिमाह

(2) ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, उनके लिए उपरोक्त वर्णित
भत्ता दोगुने दर से अनुमन्य होगा।

(3) जब मंहगाई भत्ता 50% हो जायेगा, तब उपरोक्त वर्णित भत्ता और सब्सिडी में 25% की वृद्धि के साथ देय होगा।

(4) इस सुविधा की शेष शर्तों के सम्बन्ध में न्याय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

3- अतिरिक्त प्रभार भत्ता-

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे पद का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तथा इस अवधि में उस अधिकारी को अतिरिक्त पद के कार्य का निष्पादन करना पड़ता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा। न्यायिक अधिकारी को देय अतिरिक्त प्रभार भत्ते का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य-दिवसों, किये गये न्यायिक कार्यों के परिमाण/मात्रा एवं किये गये प्रशासनिक कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

4- वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता-

(1) प्रत्येक जिला जज, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 01 स्वतंत्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके द्वारा अपने निजी वाहन (मोटर कार) का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें दिनांक 01.01.2016 से वाहन भत्ता रुपये 10,000/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य होगा तथा उपरोक्त भत्ता दिनांक 01.01.2021 से रुपये 13,500/- की दर से अनुमन्य होगा। इस हेतु न्यायिक अधिकारी द्वारा उनके नियुक्ति के जिले में पदभार ग्रहण करने पर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस आशय की सूचना देनी होगी कि वह अपना निजी वाहन का प्रयोग कर रहा है। उक्त धनराशि का भुगतान न्यायिक अधिकारियों के वेतन के साथ भत्ते के रूप में किया जायेगा।

(3) उपरोक्त वाहन भत्ते के अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अपना निजी वाहन प्रयोग करने पर 100 लीटर प्रतिमाह की सीमा तक पेट्रोल/डीजल पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस हेतु न्यायिक अधिकारी द्वारा एक स्व प्रमाण-पत्र संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देना होगा।

(4) पूल कार की सुविधा को समाप्त किया जायेगा, परन्तु फिर भी यदि कोई न्यायिक अधिकारी पूल कार की सुविधा का प्रयोग करना चाहेगा तो उन्हें उपरोक्त वर्णित वाहन एवं ईंधन प्रतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा तथा उनके लिए पूल कार की सुविधा 01 वर्ष के लिए लागू रहेगी।

(5) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अपने वाहन के विन्ड स्क्रीन पर बायें की तरफ नीचे की ओर "जज" लिखा हुआ स्टीकर लगाने की अनुमति होगी।

(6) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को वाहन क्रय करने हेतु रुपये 10,00,000/- तक के सॉफ्ट लोन की सुविधा Nominal Interest पर अनुमन्य होगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

17/193412/2024

5- अर्जित अवकाश नकदीकरण-

अर्जित अवकाश नकदीकरण व्यवस्था अर्थात् प्रत्येक 02 वर्ष के ब्लॉक में 01 माह के नकदीकरण की अनुमन्यता शासनादेश संख्या-54-एक(1)/XXXVI(1)/2006-06-एक(2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा यथावत् लागू रहेगी तथा सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिवसों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा यथावत् लागू रहेगी।

6-आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति- वर्तमान में शासनादेश संख्या-54-एक(1)/XXXVI(1)/2006-06-एक(2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

7- उच्च शिक्षा भत्ता-

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को जिनके पास विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा (संस्थागत/डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम के रूप में) प्रदत्त एल0एल0एम0 (विधि स्नातकोत्तर) की डिग्री अथवा डॉक्टरेट की उपाधि है, उन्हें एल0एल0एम0 (विधि स्नातकोत्तर) की डिग्री पर 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां एवं डॉक्टरेट की उपाधि पर 01 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिनांक: 01.01.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य की जायेंगी:-

(i) यदि न्यायिक अधिकारी के द्वारा एल0एल0एम0 एवं डॉक्टरेट की उपाधि सेवा में नियुक्ति से पूर्व प्राप्त की गई है, तो उपरोक्त वेतनवृद्धि उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से तथा यदि उपरोक्त वर्णित उपाधियाँ सेवा में आने के बाद प्राप्त की गयी हैं, तो उपाधि प्राप्त होने की तिथि से देय होगा।

(ii) ऐसे सेवारत न्यायिक अधिकारी जिनके द्वारा डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम के रूप में एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि दिनांक: 01.01.2016 से पूर्व हासिल की गयी है, उन्हें 03 वेतन वृद्धियां दिनांक 01.01.2016 से धारित पद के सापेक्ष देय होंगी।

(iii) उपरोक्त अग्रिम वेतनवृद्धि ए0सी0पी0 स्तर पर भी उपलब्ध होगी।

(iv) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धि, न्यायिक अधिकारी की सिविल जज (जू0डि0) से सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (सी0डि0) से जिला जज संवर्ग में पदोन्नति होने पर भी उपलब्ध होंगी।

(v) उपरोक्त अग्रिम वेतनवृद्धि जिला जज संवर्ग में जिला जज (एन्ट्री लेवल) से जिला जज (सलेक्शन ग्रेड) एवं जिला जज (सलेक्शन ग्रेड) से जिला जज (सुपर टाईम स्केल तक), में भी उपलब्ध होगी।

(vi) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का भाग होंगी तथा इस पर मंहगाई भत्ता की अनुमन्यता दिनांक 01.01.2016 से होगी।

8- पर्वतीय भत्ता- पर्वतीय भत्ता दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित कर रू0 5,000/- प्रतिमाह की दर से प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को देय होगा तथा इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-54-एक (1)/XXXVI(1)/2006-06-एक(2)/06 दिनांक 25.08.2006 सपठित शासनादेश संख्या-744 दिनांक 10.10.2013 की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

9- घरेलू सहायक भत्ता-

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को आवास सह-कार्यालय हेतु अर्दली/घरेलू सहायक

भत्ता दिनांक 01.01.2020 से निम्नलिखित दरों पर अनुमन्य होगा—

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज— राज्य में एक अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर, जो कि ₹0 10,000/— प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)— राज्य में एक अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का 60%, जो कि ₹0 7,500/— प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

(2) प्रदेश में वर्तमान समय में न्यायिक अधिकारियों को शासनादेश संख्या—856/XXXVI(2)—14(विविध)/2021 दिनांक 21.10.2021 सपठित शासनादेश संख्या—1094/XXXVI(2)/14(विविध)/2021 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा घरेलू सहायक भत्ता जिला जज संवर्ग में ₹0 10,000/— प्रतिमाह एवं सिविल जज संवर्ग में ₹0 7,500/— प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है। तदनुसार दिनांक 01.01.2021 से उक्त भत्ते में 30% की वृद्धि होने के उपरान्त न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से उनके द्वारा संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मात्र इस आशय का स्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उनके द्वारा घरेलू सहायक रख लिया गया है, उपरोक्त वर्णित भत्ता देय होगा—

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज— ₹0 13,000/— प्रतिमाह

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)— ₹0 9,750/— प्रतिमाह

(3) दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 05.01.2022 तक के घरेलू सहायक भत्ते हेतु न्यायिक अधिकारियों को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों द्वारा उपरोक्त भत्ता पुरानी दर से प्राप्त किया जा चुका है, उन्हें नई दर में से भुगतान की गयी राशि को घटाकर शेष राशि देय होगी।

(5) जिन न्यायिक अधिकारियों को शासकीय कार्यों के इतर आवास के लिए समूह 'घ' कर्मचारी प्राप्त है उन्हें घरेलू सहायक भत्ता अथवा पूर्व से अनुमन्य सुविधा में से किसी एक सुविधा के चयन की अनुमन्यता होगी।

(6) यदि न्यायिक अधिकारियों को उनके आवास हेतु रात्रि के लिए गुप-डी संवर्ग के कर्मचारी न्यायिक कार्य के दृष्टिगत उपलब्ध कराये गये हों अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारियों को जो कि ऐसे स्थान पर निवास करते हों, जहाँ पर खतरा हो और उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये गये हों, को भी उपरोक्त वर्णित दर से घरेलू सहायक भत्ता अनुमन्य होगा। प्रधान जिला जज अथवा उनके समकक्ष न्यायिक अधिकारी जिन्हें प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत गुप 'डी' संवर्ग के कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हों, को भी घरेलू सहायक भत्ता अनुमन्य होगा।

(7) उपरोक्त भत्ता पेंशन धारकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को भी निम्नलिखित दर पर दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा:—

(क) पेंशन धारक— ₹0 9,000/— प्रतिमाह

(ख) पारिवारिक पेंशन धारक— ₹0 7,500/— प्रतिमाह

(8) उपरोक्त भत्ते में दिनांक 01.01.2016 से 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से 30% की वृद्धि की जायेगी, अर्थात् पेंशन धारकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को उपरोक्त भत्ता निम्न दर से देय होगा:—

(क) पेंशन धारक— ₹0 11,700/— प्रतिमाह

(ख) पारिवारिक पेंशन धारक— रु0 9,750/- प्रतिमाह

10- आवास किराया भत्ता—

- (1) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-54-एक (1)/XXXVI (1)/2006-06-एक(2)/06 दिनांक 25.08.2006 की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।
- (2) ऐसे न्यायिक अधिकारी जो अपने तैनाती के जिले में अपने आवास में, जिसमें उनके माता-पिता तथा उनके पति/पत्नी का आवास भी सम्मिलित है, में निवास कर रहे हों तो उनको दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर आवास किराया भत्ता निम्नानुसार अनुमन्य होगा—
- (क) X श्रेणी के शहर हेतु मूल वेतन का 24% प्रतिमाह
- (ख) Y श्रेणी के शहर हेतु मूल वेतन का 16% प्रतिमाह
- (ग) Z श्रेणी के शहर हेतु मूल वेतन का 8% प्रतिमाह

(3) आवास किराया भत्ता हेतु न्यूनतम दरें क्रमशः रुपये 5400/-, रुपये 3600/- तथा रुपये 1800/- होंगी तथा उपरोक्त वर्णित दर मंहगाई भत्ते में परिवर्तन होने पर निम्नानुसार परिवर्तित होंगी:-

- (क) X श्रेणी के शहर हेतु मूल वेतन का 27% प्रतिमाह (मंहगाई भत्ता 25% होने पर) तथा मूल वेतन का 30% (मंहगाई भत्ता 50% होने पर)
- (ख) Y श्रेणी के शहर हेतु मूल वेतन का 18% प्रतिमाह (मंहगाई भत्ता 25% होने पर) तथा मूल वेतन का 20% (मंहगाई भत्ता 50% होने पर)
- (ग) Z श्रेणी के शहर हेतु मूल वेतन का 9% प्रतिमाह (मंहगाई भत्ता 25% होने पर) तथा मूल वेतन का 10% (मंहगाई भत्ता 50% होने पर)
- (4) केन्द्र सरकार के द्वारा जारी नगरों की श्रेणियों में राज्य के नगरों को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित (उच्चकृत व जोड़ा जाना) किया जा सकेगा।

11- ड्राईंग रूम का सुसज्जीकरण—

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी जिसे सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, को ड्राईंग रूम सुसज्जीकरण हेतु प्रत्येक 05 वर्ष में 1.25 लाख रुपये की धनराशि देय होगी तथा शेष शर्तों के सम्बन्ध में वर्तमान शासनादेश संख्या-144(1)/XXXVI(1)/2014-06 -एक(2)/06 दिनांक 11.11.2014 सपठित शासनादेश संख्या-245(1)/XXXVI(1) -A-1/2020-06-एक(2) /06 दिनांक 14.09.2020 लागू रहेगा।
- (2) इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को उनके आवास हेतु प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल पर एक ए0सी0 (ड्यूल मोड, ऑल वेदर) उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु प्रथम 05 वर्ष की अवधि 01.02.2024 से मानी जायेगी।
- (3) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिनके द्वारा उपरोक्त बिन्दु-1 में उपरोक्त वर्णित ड्राईंगरूम सुसज्जीकरण हेतु धनराशि दिनांक 01.01.2016 के पश्चात पुरानी दर से अर्थात् रु0 75000/- प्राप्त किया जा चुका है, उन्हें भी दिनांक 01.01.2016 से नई धनराशि की

सीमान्तर्गत पुरानी धनराशि से अधिक कय के आधार पर भुगतान की गयी धनराशि को घटाकर शेष धनराशि देय होगी।

12- अवकाश यात्रा सुविधा भत्ता-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक 03 वर्ष ब्लॉक में एक बार गृह अवकाश यात्रा की सुविधा तथा भारत में किसी भी स्थान तक आने-जाने के लिए एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (2) नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रथम 03 वर्ष के भीतर 02 बार गृह अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा प्रथम 03 वर्ष की गणना उनके सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रारम्भ मानी जायेगी तथा इस हेतु परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने की औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को वायुयान से अधिकृत श्रेणी में यात्रा की अनुमन्यता होगी तथा उक्त यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति इस शर्त के साथ की जायेगी कि वायुयान का टिकट या तो सीधे सम्बन्धित वायुयान कम्पनी से क्रय किया हो अथवा प्राधिकृत एजेन्ट अशोका ट्रैवल, बामेर एण्ड लोरी तथा आई0आर0सी0टी0सी0 या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी एजेन्ट से क्रय किया गया हो।
- (4) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के द्वारा भारत में कही भी जाने की अपनी यात्रा अवकाश सुविधा को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाना अनुमन्य होगा।
- (5) यात्रा अवकाश सुविधा/गृह अवकाश यात्रा सुविधा के उपभोग के लिए अर्जित अवकाश लेना आवश्यक नहीं होगा तथा इस उद्देश्य हेतु न्यायिक अधिकारी अधिकतम 02 दिन के आकस्मिक अवकाश को राजकीय अवकाशों के साथ प्रीफिक्स तथा सफिक्स करते हुए प्रयोग कर सकेंगे।
- (6) अवकाश यात्रा सुविधा लेने की दशा में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का अधिकारी होगा, परन्तु यह सुविधा पूरे सेवाकाल में अधिकतम 60 दिन के लिए अर्थात् केवल 06 बार उपलब्ध होगी। यह सुविधा सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण एवं 02 वर्ष के ब्लॉक में 30 दिनों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा के अतिरिक्त होगी।
- (7) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को यात्रा अवकाश सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

13- चिकित्सा भत्ता-

- (1) चिकित्सीय भत्ता दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित कर रुपये 3,000/- प्रतिमाह की दर से सेवारत न्यायिक अधिकारियों को देय होगा।
- (2) सेवानिवृत्त पेंशन धारक न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगी को दिनांक 01.01.2016 से रू0 4,000/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा।
- (3) मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित "जिला न्यायालयों के सेवा-शर्तों के लिए समिति" के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में न्याय विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से न्यायिक अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

1/193412/2024

14- समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता-

समाचार पत्र/पत्रिकाओं का भत्ता दिनांक 01.01.2020 से पुनरीक्षित कर प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को निम्नानुसार देय होगा-

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज-रु0 1,000/- प्रतिमाह

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)- रु0 700/- प्रतिमाह

उक्त धनराशि का भुगतान न्यायिक अधिकारियों के वेतन के साथ भत्ते के रूप में किया जायेगा।

15- पोशाक भत्ता-

पोशाक भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-385/ XXXVI(1)/2013-6 एक(2)/06 दिनांक 13.12.2013, सपठित शासनादेश संख्या-385 (1)/XXXVI(1)/2013-6 एक(2)/06 दिनांक 20.12.2013 की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

16- प्रशासनिक कार्यों हेतु विशेष भत्ता-

(1) प्रशासनिक कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 से निम्न वर्णित दरों पर विशेष प्रशासनिक कार्य भत्ता अनुमन्य होगा:-

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उनके समकक्ष-रु0 7,000/- प्रतिमाह

(ख) अन्य अपर जिला जज जिसमें प्रथम अपर जिला जज भी शामिल है तथा जिनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है-रु0 3,500/- प्रतिमाह

(ग) विशेष न्यायालयों एवं प्राधिकरणों में पीठासीन स्वतन्त्र प्रशासनिक प्रभार वाले जिला जज/अपर जिला जज-रु0 3,500/- प्रतिमाह

(घ) ऐसे स्वतन्त्र न्यायालयों में, जहाँ पर वाद संस्थित किया जाता है, पीठासीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज तथा ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्य किया जाता है-रु0 2,000/- प्रतिमाह

17- अतिथि सत्कार भत्ता-

(1) अतिथि सत्कार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित कर प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को निम्नानुसार देय होगा:-

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज - रु0 7,800/- प्रतिमाह

(ख) सिविल जज (सी0डि0) - रु0 5,800/- प्रतिमाह

(ग) सिविल जज (जू0डि0) - रु0 3,800/- प्रतिमाह

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न वर्णित न्यायिक अधिकारियों को रु0 1,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त उनके अतिरिक्त उत्तरदायित्व के दृष्टिगत देय होगा:-

(क) जिले के प्रशासनिक प्रभारी के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश

(ख) सलेक्शन ग्रेड तथा सुपरटार्डम स्केल के जिला जज

(ग) न्यायिक एवं प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक

(घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव

(ङ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

18- दूरभाष सुविधा-

न्यायिक अधिकारियों को निम्नलिखित दूरभाष सुविधा अनुमन्य होगी:-

I- आवासीय दूरभाष सुविधा:-

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास हेतु लैंडलाइन टेलीफोन ब्रॉडबैंड सुविधा के साथ (समान नेटवर्क प्रोवाइडर अथवा भिन्न-भिन्न नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ) निम्नानुसार अनुमन्य होगा-

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज -रु0 1,500/- प्रतिमाह

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)-रु0 1000/- प्रतिमाह

उपरोक्त दरों में किराया, इन्टरनेट का प्रयोग एवं बातचीत की सुविधा सम्मिलित होगी।

(2) जिन स्थानों पर ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ पर दूरभाष सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध होगी-

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज -रु0 1,000/- प्रतिमाह

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)-रु0 750/- प्रतिमाह

उपरोक्त दरों में किराया, इन्टरनेट का प्रयोग एवं बातचीत की सुविधा सम्मिलित होगी।

II- मोबाईल फोन सुविधा-

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक तीन वर्ष में निम्नानुसार वर्णित धनराशि का एक मोबाईल फोन क्रय करना अनुमन्य होगा तथा प्रथम 03 वर्ष की अवधि 01.02.2024 से प्रारम्भ मानी जायेगी-

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज -रु0 30,000/-

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)-रु0 20,000/-

(2) मोबाईल फोन खरीदने के पश्चात प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष के समक्ष क्रय किये गये मोबाईल फोन का बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए अनुमन्य धनराशि का आहरण/भुगतान मानक मद संख्या-11 से किया जायेगा।

(3) तीन वर्ष के पश्चात न्यायिक अधिकारियों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित दरों पर अपने पुराने मोबाईल फोन को अपने पास रख सके।

III- मोबाईल फोन संयोजन:-

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को निम्नलिखित दरों पर, जिसमें इन्टरनेट डेटा पैकेज सम्मिलित है, मोबाईल फोन संयोजन अनुमन्य होगा-

(क) जिला जज एवं अपर जिला जज - रु0 2,000/- प्रतिमाह

(ख) सिविल जज (सी0डि0) एवं सिविल जज (जू0डि0)-रु0 1,500/- प्रतिमाह

19- स्थानान्तरण भत्ता-

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को उनके स्थानान्तरण पर दिनांक 01.01.2016 से

1/193412/2024

निम्नानुसार स्थानान्तरण भत्ता अनुमन्य होगा-

(क) स्थानान्तरण पर प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को स्थानान्तरण अनुदान के रूप में एक माह का मूल वेतन देय होगा।

(ख) यदि स्थानान्तरण एक ही शहर में किया गया है अथवा स्थानान्तरण की दूरी 20 किमी० से कम है तथा स्थानान्तरण के फलस्वरूप न्यायिक अधिकारी को अपने निवासरत आवास में परिवर्तन करना पड़ा है, तब उसे मूल वेतन का 1/3 भाग स्थानान्तरण अनुदान के रूप में प्राप्त होगा।

(ग) इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण पर सड़क मार्ग से घरेलू सामान के परिवहन हेतु 50 रुपये प्रति किमी० की दर से जिसमें श्रमिक चार्ज शामिल है, अनुदान देय होगा तथा मंहगाई भत्ते के 50% हो जाने की दशा में उपरोक्त वर्णित अनुदान 25% वृद्धि के साथ देय होगा।

(2) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनका स्थानान्तरण दिनांक 01.01.2016 के पश्चात हुआ हो तथा जिनको पुराने वेतनमान के अनुसार स्थानान्तरण अनुदान का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें भी दिनांक 01.01.2016 से नये पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पुराने वेतनमान के आधार पर भुगतान की गयी अनुदान राशि को घटाकर शेष स्थानान्तरण अनुदान देय होगा।

2. उक्तानुसार भत्ते पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप न्यायिक अधिकारियों के भत्ते/सुविधाओं से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक अतिक्रम/संशोधित समझे जायेंगे।

3. उक्त सभी भत्ते/सुविधायें न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न अधिकरणों/प्राधिकरणों/आयोगों/कार्यालयों/मा० उच्च न्यायालय/शासन/ उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए भी अनुमन्य होंगे।

4. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं०-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालय को आवंटित सुसंगत ईकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-7/193412/24 दिनांक-23/21/24 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Nitin Sharma

Date: 23-02-2024 19:50:34

(नितिन शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 88(V) /XXXVI-A-1/2024-261/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. - महासचिव, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

2. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
6. - प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. - सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. - समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
9. - अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
10. - अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड, देहरादून।
11. - अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
12. - निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
13. - निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
14. - समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
15. - सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
16. - अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. - सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
18. - न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
19. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. - निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
21. - निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह दिनांक 15.09.2022 से पूर्व संशोधित वेतन पर्ची जारी करने का कष्ट करें।
22. - समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. - वित्त अनुभाग-5/वित्त अनुभाग-7/वित्त अनुभाग-10/कार्मिक अनुभाग-4/न्याय अनुभाग-2/न्याय अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
24. - श्री सुदर्शन सिंह रावत, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

17193412/2024

25. - गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
23/01/2024
(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।